

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 181/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
09.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>08/12/2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर। अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०नि० 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म अ.र.क.ब.) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- गौजा च.र.क.ब. थाना नं० <u>924</u> खाता सं० <u>7</u> प्लॉट सं० <u>75/12</u> रकबा <u>0.80</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म अ.र.क.ब. अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>111</u> के पृष्ठ सं० <u>30</u> पर जमाबंदी रैयत पुर्नोश्वर 2 पालन को०पिना रामदास पाण्डेय के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

08/12/22

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24/12/2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24/12/2022

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में राजस्व उपनिरीक्षक अनुकरुण 9 जलविभागी, छत्तरपुर

द्वारा जमाबंदी द्वारा निरीक्षित 9-होल्डर का लो-25/10-21, लगभग रकबा 1.42-94 का समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी

को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 07.01.23 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

07/01/23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा

पलामू - मौजा नं० 224 खाता सं०-7 प्लॉट सं०-46(3) रकबा 0.30.00 किस्म खेतिया के अनुसार गैरमजरुआ मालिक खाते

की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म खेतिया दर्ज है, अतः

जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार पुष्पेन्द्र

पुष्पेन्द्र 030 विगमदाल फसल के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 30/11 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 30/11 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पृथ्वी नगर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
जुगल पासवान वी जुगल पासवान	पतलपुर	224	4	46/3	0.30 एकड़	अति मातृ	—
जिला समितान पासवान							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- आमतौर जंगल-झड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में परिवर्तन 31 अक्टूबर
2014 में की गयी है 25/10/90-91 का पट्टा पट्टा पट्टा पट्टा
31 अक्टूबर 2014 तक आदेशानुसार 31 अक्टूबर 2014 तक है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

अनुसूचित पट्टा सब
डाटाईज

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- N/A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

25/10/90-91

25/10/90-91

(ग) बाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामांतरण पंजी से :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार, द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक—01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फ़िल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

[illegible]

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में जाँच किया जाही गया। अतः उपरोक्त जानकारी को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर। छत्तरपुर।

अनुमण्डल पदा.,
उत्तरपुर ।

अपर समाहर्ता,
पलामू ।

उपायुक्त.
पलामू ।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- जुमाल पासवान व/उजैश्वर पासवान पिता बामदेव पासवान
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या III पृष्ठ सं. 30 पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>पतरचरी</u>	<u>224</u>	<u>7</u>	<u>46/3</u>	<u>0.30 कड़</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- मौजपंजी II में बंदोबस्ती क्रं. सं 25/1990-91
करा है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्री. मजबूत मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- अनुमोल पट्टा लुहा, डाल 2-1/3
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :- न/म

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- बंदोबस्ती क्रं. सं 25/1990-91
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :-

मौजपंजी II एवं बंदोबस्ती क्रं. सं 25/1990-91

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>053021</u>	<u>15/09/1993</u>	<u>1993-94</u>

9/25

15/9

15/9